



भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
वन शिक्षा निदेशालय

Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Directorate of Forest Education  
डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248 006  
P.O. New Forest, Dehra Dun-248 006

दूरभाष नं./Tel. No. 0135-2750127, 2757326 फैक्स/Fax-0135-2750125 Email:thedefedun@yahoo.com

सं० 4-902/प्रशि०-11/वशिनि-2022/250-328

दिनांक 13 अप्रैल, 2022

कार्यालय आदेश

वन शिक्षा निदेशालय अपने अधीनस्थ अकादमियों, कोयम्बटूर, देहरादून, बर्नीहाट, कुर्सियोंग तथा वन शिक्षा निदेशालय के तकनीकी नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न वन अकादमियों के माध्यम से वन क्षेत्रपाल अधिकारियों को 18 माह का इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान करता है। वन शिक्षा निदेशक द्वारा भारत सरकार के "प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के लिए" एवं पहले के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के 18 माह के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की दरों को समय-समय पर निर्धारित करता है।

प्रशिक्षण व्यय की निम्नलिखित मदों में पिछली बार निम्नानुसार संशोधन किया गया था:-

विवरण	पिछली संशोधन की तिथि
शिक्षा शुल्क ₹ 80,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	अगस्त, 2018
दौरा व्यय ₹ 1,50,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए (महाविद्यालय में ज्वाइनिंग व प्रस्थान / लीविंग तथा छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय के अतिरिक्त)	
उपकरण भत्ता ₹ 70,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	
<b>कुल ₹ 3,00,000/-</b>	


पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार सभी उपयोगी वस्तुओं की लागत काफी हद तक बढ़ी हैं। मूल्यों तथा रखरखाव में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण व्यय की मौजूदा दरों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि निधि की कमी के चलते वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के प्रशिक्षण में कठिनाई उत्पन्न न हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा दिनांक 21 जून 2004 की अधिसूचना सं. 3-17/99-आर० टी०(1) के अनुसार वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के "प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 के सामान्य नियम भाग IV के नियम संख्या 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून/कोयम्बटूर/बर्नीहाट, केन्द्रीय अकादमी वन सेवा, कुर्सियोंग एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित वानिकी के 18 माह के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रायोजित होने वाले वन क्षेत्रपाल अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण शुल्क, दौरा व्यय, उपकरण भत्ते, की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्रम सं०	विवरण	संशोधित दर प्रति वन क्षेत्रपाल अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के लिए	टिप्पणी
1	शिक्षा शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण कोर्स के लिए	₹ 1,00,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	दिनांक 01.05.2022 के बाद से प्रारम्भ होने वाले 2022-2023 सत्र से प्रभावी होगा।
2	दौरा व्यय (महाविद्यालय में ज्वाइनिंग व प्रस्थान / लीविंग तथा छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय के अतिरिक्त)	₹ 2,50,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	तदैव
3	उपकरण भत्ता प्रति प्रशिक्षणार्थी	₹ 1,00,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	तदैव
4	संस्थागत शुल्क	₹ 50,000/- संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिये	तदैव
	<b>कुल</b>	<b>₹ 5,00,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी</b>	

1. शिक्षण शुल्क, दौरा व्यय, उपकरण भत्ते, संस्थागत शुल्क की संशोधित दरें 1 मई, 2022 के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले वन क्षेत्रपाल के 2022-2023 बैच से प्रभावी होगी।
2. प्रशिक्षणार्थी द्वारा अकादमी में प्रवेश के समय रू० 10,000/- (रू० दस हजार मात्र) कौशन मनी (रिफण्डेबल) जमा कराना आवश्यक है जो कि प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अकादमी द्वारा प्रशिक्षणार्थी को वापस किया जायेगा।
3. प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा दिये जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम वजीफा रू० 44,900/- (रू० चवालीस हजार नौ सौ मात्र) प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह भुगतान किया जाये।
4. प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण के समय उठरने तथा यात्रा व्यय सामान्यतः भारत सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार से अधिक नहीं होगा एवं भारत सरकार के अधिकारियों के समान लेवल/ग्रेड वेतन की पात्रता के अनुरूप होंगे। फंड की कमी होने पर यात्रा के दौरान उठरने का भत्ता पात्रता से कम किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश ज्यादा व्यय करने की आवश्यकता होती है तो यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाये।
5. बिजली, पानी, छात्रावास की सफाई की उपभोग्य वस्तुओं, आई० टी० संबंधित सामग्री, अन्य प्रशिक्षण संबंधित व्यय इत्यादि को संस्थागत शुल्क से अनुपातिक रूप में भी वहन किया जा सकेगा।
6. सभी अकादमियों के निदेशक / प्रधानाचार्य उपर्युक्त विवरण के अनुसार व्यय का लेखा भारत सरकार के व्यय खातों के अनुरक्षण के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार तैयार करेंगे तथा बैच के समापन की तिथि से तीन (03) महीनों के भीतर दौरा व्यय की शेष / मांग राशि, यदि कोई हो तो, प्रायोजित करने वाले राज्य/प्राधिकारी को लौटायेंगे अथवा मांग करेंगे।

(अंग्रेजी अनुवाद पिछले पृष्ठ पर)

  
(अनुराग भारद्वाज, भा. व. से.)  
वन शिक्षा निदेशक

मानक वितरण:-

1. सचिव (वन), समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेना प्रमुख), समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश।
3. उप वन महानिदेशक (आरटी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली-110 003.
4. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून (उत्तराखण्ड)/कोयम्बटूर (तमिलनाडु)/बर्नीहाट (असम)।
5. प्रभारी प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी वन शिक्षा, कुर्सीयांग (प० बंगाल)।
6. निदेशक/प्रधानाचार्य, सभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित अकादमियों/वन प्रशिक्षण संस्थान।
7. गार्ड फाईल।